सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 13.06.2024

मात्र 12 घण्टे मे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 02 चोरों को किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से चोरी की गयी सामाग्री की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.06.2024 को वादी सतीश चन्द्र राजपूत पुत्र जोर सिंह (प्रबन्धक) डा0 नेपाल सिंह इण्टर कालेज ग्राम डूंगरी थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा हाल पता विचपुरी खेडा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर सूचना दी गयी कि **दिनांक 12.06.2024** को डा0 नेपाल सिंह इण्टर कॉलेज की प्रयोगशाला मे रखा हुआ सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। सूचना के आधार पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर **मु0अ0सं0 127/24 धारा 379 भादवि** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/छिनैती की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 12/13.06.2024 की रात्रि को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 127/24 से संबंधित अभियुक्त हाथ में प्लास्टिक की बोरी लिये हुए संचेतना कालेज से हरसौली की तरफ जाने वाले सर्विस रोड पर कहीं जाने की फिराक में खडे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त समीर खान पुत्र अफसर एवं 01 बाल अपचारी को संचेतना कालेज से हरसौली की तरफ जाने वाले सर्विस रोड से समय 08.35 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा नाम/पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से आग बुझाने वाला सिलेण्डर /फायर एक्सटिंग्विशर एवं प्लास्टिक की बोरी जिसमे 07 लोहा काटने की आरी के फ्रेम, 03 स्क्रू ड्राइवर, 08 प्लास, 05 स्क्रू पुलर, 17 प्लास वायर कटर बरामद हुये। पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 12.06.24 को हमने यह सामान कॉलेज से चुराया था जिसे बेचने के लिये जा रहे थे।

उक्त गिरफ्तारी /बरामदगी के संबंध मे थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 127/24 धारा 379 भादवि मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. **समीर खान पुत्र अफसर निवासी गाडीपुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र 19 वर्ष ।**
2. **01 किशोर अपचारी ।**

बरामदगीः-

1. **07 लोहा काटने की आरी के फ्रेम**
2. **03 स्क्रू ड्राइवर**
3. **08 प्लास**
4. **05 स्क्रू पुलर ,**
5. **17 प्लास वायर कटर ,**
6. **01 फायर एक्सटिंग्विशर**

पंजीकृत अभियोगः-

1. **मु0अ0सं0- 127/24 धारा 379 भादवि व बढोत्तरी धारा 411 भादवि जनपद इटावा**

पुलिस टीम- नि0 श्री दिवाकर प्रसाद सरोज प्रभारी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, उ0नि0 जगदीश कुमार भाटी, का0 विनीत कुमार मय टीम ।